राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

क्रमांक :प.15(41)ज0सं0/13 जयपुर, दिनांक : 27-6-17

–: आदेश :–

राजस्थान अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान अधिकारी सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1954 के अंतर्गत अधीक्षण अभियंता (सिविल) की वर्ष 2011–12 की रिक्तियों के लिये दिनांक 20.10.12 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। डीपीसी की विषय सामग्री में श्री पवनराज सोलंकी, अधिशाषी अभियंता के विरूद्ध सीसीए नियम 16 में जांच विचाराधीन होने के कारण इनकी पदोन्नति का चयन परिणाम बन्द लिफाफे में रखा गया। कार्मिक विभाग द्वारा उक्त जांच का निर्णय करते हुए आदेश दिनांक 03.08.15 के द्वारा श्री पवनराज सोलंकी को पांच वर्ष तक 10 प्रतिशत पेंशन रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। श्री पवनराज सोलंकी के विरूद्ध पारित दण्डादेश के कारण अधीक्षण अभियंता की वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 की रिक्तियों के विरूद्ध पूर्व में आयोजित डीपीसी को रिव्यू किया गया। विभागीय पदोन्नति समिति ने श्री पवन राज सोलंकी का नाम वर्ष 2011–12 की चयन सूची से विलोपित किये जाने की अनुशंषा की है एवं वर्ष 2012–13 की चयन सूची में प्रथम स्थान पर चयनित श्री सत्यनारायण गुप्ता को वर्ष 2011–12 की रिक्तियों के विरूद्ध अधीक्षण अभियंता पद पर पदोन्नति की अनुशंषा की है। अतः विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषानुसार श्री सत्यनारायण गुप्ता, अधीक्षण अभियंता का वर्ष 2012–13 की चयन सूची में से नाम विलोपित किया जाता है तथा इनको वर्ष 2011–12 की रिक्तियों के विरूद्ध अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नत किया जाता है। इस वर्ष पदोन्नत अधिकारियों में इनका नाम श्री ध्रुवसत्य अग्रवाल के नीचे रहेगा।

आज्ञा से
Sd
(आर0सी0 ढेनवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवांही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री, जल संसाधन, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर
3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति सभी संबंधित को अविलम्ब भिजवाने का श्रम करावें।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी
6. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव